Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITY

IInd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513,
Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

SCHOLARSHIP/MERIT SCHOLARSHIP TO SC/ST/OBC/MINORITIES STUDENTS STUDYING IN CLASS I TO XII (2014-15)

CLOSING DATE: 01/09/2014

ATTENTION:SC/ST/OBC/MIN.STUDENTS OF CLASS I TO XII OF ALL GOVERNMENT/AIDED/RECOGNIZED PUBLIC SCHOOL AFFILIATED TO DIRECTORATE OF EDUCATION/KENDRIYA VIDYALAYA (IN DELHI ONLY)/NATIONAL OPEN SCHOOL/SCHOOLS AFFILIATED TO EAST, NORTH & SOUTH MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI/ DELHI CANTONMENT BOARD & NDMC.

Applications are invited from eligible students (as per criteria given below) for providing financial assistance to the students to pursue their studies.

1. CONDITION FOR SCHOLARSHIP

(a) The Scholarship will be given to the students pursuing studies (Class 1st to 12th for SC/ST/MIN. and class 6th to 12th for OBC students) from Government/Govt. Aided/Recognized/Local bodies i.e. MCD/NDMC and DCB, Kendriya Vidyalaya and recognized public schools in Delhi.

(b) To be eligible, no percentage of marks required for SC/ST/MIN. students (Class 1st to 8th.). For OBC students class 6th to 12th and for SC/ST/MIN. students of class 9th to 12th minimum 55% of marks is required in previous class.

(c) Family income limit is not applicable in case of SC/ST students but family income should not exceed from Rs. 2.00 lac per annum in case of OBC/MIN. in case of OBC/MIN. students self declaration of family income in the prescribed format is required.

(d) 1. Attested copy of Caste Certificate issued in the Name of Student/Father (in respect of sc/ST/OBC) & affidavit (in non-Judicial stamp paper of Rs. 10/-)(in respect of Minority students) by parent/guardian declaring his son/daughter belongs to particular Minority Community.

2. Attest copy of EPIC Card/Adhar Number, Ration Card, Land line telephone bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD and Domicile issued by SDM in Delhi or Pass Book of Nationalized Banks.

(e) A student is allowed to avail the scholarship either under the State plan scheme or Centrally sponsored scholarship Scheme which ever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of institutions by mode of declaration.

(f) The Bank account should be in the name of the student (joint Bank Account with parent/guardian is also permissible) & Bank detail form should be verified by concern Bank Authority .

RATES OF SCHOLARSHIP:

S. NO.	CATEGORY	CLASSES	% OF MARKS IN PREVIOUS CLASSES	SCHOLARSHIP AMOUNT (In Rs.)
1	SC/ST/Min.	I to VIII	No percentage of Marks is required	Rs. 1000/-P.A
2.	OBC	VI to VIII	55% and above but below 60 %	Rs. 600/-
			60% and above	720/-
3	SC/ST/OBC/MIN	IX to X	55% and above but below 60 %	Rs. 1620/-
			60% and above	Rs. 2040/-
4.	SC/ST/OBC/MIN	XI to XII	55% and above but below 70 %	Rs. 3000/-
			Above 70%	Rs. 4500/-

3. How to apply

(a) The application form can be downloaded form the website of the Department i.e **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.**

(b) Eligible students studying in schools affiliated to South Delhi Municipal Corporation may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed proforma as well soft copy of concerned officer at 15th floor, Civic Centre, Minto Road, New delhi.

(c) Eligible students studying in schools affiliated to North Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed proforma as well soft copy of concerned officer at 15th floor, Civic Centre, Minto Road, New delhi.

(d) Eligible students studying in schools affiliated to East Delhi Municipal corporation may submit their forms to Head of School/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed proforma as well soft copy of concerned officer at 419, Udyog Sadan, Patparganj Institutional Area. New Delhi-91.

(e) Eligible students studying in schools affiliated to NDMC may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy to Dy. Education Officer (General), Deptt. of Education, Palika Kendra, Sansad Marg, New Delhi who is the Nodal officer in the matter.

(f) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Dte. Of Education may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy to Dy. Director (Planning), Old Patrachar Building Timarpur, New Delhi who is the Nodal officer in the matter.

(g) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Delhi cantonment Board may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in the office of Chief Executive Officer, Delhi Cantonment Board, Delhi Cantonment, Delhi-110010.

(h) Eligible students studying in Government/Govt. Aided schools affiliated to Kendriya Vidyalaya Sangathan may submit their forms to Head of school/Principal who in turn may submit the consolidated proposal in prescribed proforma as well as soft copy in the office of Assistant Commissioner of Kendriya Vidalaya Sangathan, Delhi Region, JNU Campus New Delhi who is the Nodal Officer in the matter.

(i) Eligible students studying in Recognized Public Schools, National Open Schools and other schools approved by Government but not falling under any of the category above may submit their forms to Head of School/Principal who in trun may submit the consolidated proposal in the prescribed proforma as well as soft copy along with the complete application forms along with relevant doucnemts to Deputy Director (SC/ST/OBC/MIN), Dept. for the Welfare of SC/ST/OBC/MIN , B-block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002 immediately or latest by **10.09.2014.**

(j) Scholarship will be awarded to the eligible students as per order/notification/circular/letter issued by GNCTD from time to time.

Note:- The schools mentioned above at (b) to (f) will keep the application of the students and other supporting documents such as attested copy of caste Certificate, previous class marks sheet (where ever applicable), self declaration, affidavit etc. may be retained by Head of School for their record which may be checked by this Department any time.

4.0 OTHER CONDITION

Individual applications shall not be entertained. Head of School must ensure that no eligible SC/ST/OBC/MIN students is left out and consolidated list of students in the prescribed proforma should be sent to concerned office indicated above. The Nodal officer of the concerned department/organization should forward the complete proposal (in soft copy as well as hard copy as per prescribed proforma which may be downloaded form the website of department) to Deputy Director (SC/ST/OBC/MIN), B-block, 2nd Floor, vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002 on or before **10.09.2014**. Application/Proposals received after the last date will be rejected summarily. On the forwarding letter the name of scheme should be clearly indicated.

Format of Application Form, consolidated statement (to be filled by Head of School, concerned), self Declaration of family income (for OBCs and Minority)and Electronic Clearing Service proforma in respect of students may be downloaded from the Departments website. www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

DIP/0637/14-15

For further details and application form please log on the website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फोन : 23379511-12, फैक्स: 23379513,

वेबसाइट : www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, ई-मेल : ddscstdel@hub.nic.in

कक्षा I से XII में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति/विशिष्ट योग्यता छात्रवृत्ति (2014-15)

अंतिम तिथि: 01/09/2014

ध्यान दें : दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड तथा एनडीएमसी के पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी नगर निगमों से सम्बद्ध केवल दिल्ली/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/विद्यालयों के शिक्षा निदेशालय/केन्द्रीय विद्यालय (केवल दिल्ली में) से सम्बद्ध सभी सरकारी/सहायता प्राप्त/मान्यताप्राप्त सार्वजनिक विद्यालयों के कक्षा I से XII में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र।

अपना अध्ययन जारी रखने वाले सभी पात्र विद्यार्थियों (निम्नलिखित पात्रता सीमा के अधीन) को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

1. छात्रवृत्ति की शर्तें

(अ) छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जायेगी जो दिल्ली में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त/स्थानीय निकायों जैसे दि.न.नि./न.दि.नि.प. तथा डीसीबी, केन्द्रीय विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त सार्वजनिक विद्यालयों में अध्ययनरत (अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 12 तथा अ.पि.वर्ग के कक्षा 6से 12) हैं।

(ब) पात्र होने के लिए अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों (कक्षा 1 से 8) हेतु कोई अंक प्रतिशत नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु कक्षा 6से कक्षा 8तथा कक्षा 9 से कक्ष 12 में अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पूर्व कक्षा में न्यूनतम 55% अंक वांछनीय।

(स) अ.जा./अ.ज.जा. हेतु कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं प्रयोग है परन्तु अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु पारिवारिक आय सीमा रु. 2.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। निर्धारित प्रारूप में पारिवारिक आय की स्वत: घोषणा वांछनीय है।

(द) 1. विद्यार्थी/पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग की स्थिति में) तथा विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक द्वारा एक शपथ पत्र (10 रु. के गैर—न्यायिक स्टैम्प पेपर पर) (अल्पसंख्यक विद्यार्थी की दशा में) जिसमें घोषणा की गयी हो कि उसका पुत्र/पुत्री अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बद्ध है।

2. मतदाता पहचान-पत्र/आधार नम्बर, राशन कार्ड, एमटीएनएल के लैंड लाइन टेलीफोन के बिल, जीएनसीटीडी द्वारा निर्गत ड्राइविंग लाइसेंस तथा दिल्ली में एसडीएम द्वारा निर्गत डोमिसाइल प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के पासबुक की सत्यापित प्रतिलिपि।

(य) विद्यार्थियों को या तो राज्य योजना स्कीम अथवा केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना, जो भी उसके लिए लाभकारी हो के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी तथा घोषणा के द्वारा अपने संस्थान के प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदाता प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

(र) बैंक खाता विद्यार्थी के नाम से होना चाहिए (माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त खाता भी मान्य है) तथा सम्बद्ध बैंक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित बैंक विवरण प्रपत्र।

छात्रवृत्ति की दरें

क्रम सं.	श्रेणी	कक्षा	पूर्व कक्षा में अंक प्रतिशत	छात्रवृत्ति की राशि (रु. में)
1.	अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक	I से VIII	कोई अंक प्रतिशत वांछनीय नहीं	रु. 1000/ वार्षिक
2.	अ.पि.वर्ग	VI से VIII	55% तथा अधिक परन्तु 60% से कम 60% से अधिक	रु. 600/- रु. 720/-
3.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक	IX से X	55% तथा अधिक परन्तु 60% से कम 60% से अधिक	रु. 1620/- रु. 2040/-
4.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक	XI से XII	55% तथा अधिक परन्तु 70% से कम 70% से अधिक	रु. 3000/- रु. 4500/-

3. कैसे आवेदन करें

(अ) आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in** से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

(ब) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सम्बद्ध विद्यालयों के पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट प्रति सहित सम्बद्ध अधिकारी के पास 15वीं मंजिल, सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली पर जमा करेंगे।

(स) उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बद्ध विद्यालयों के पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट प्रति सहित सम्बद्ध अधिकारी के पास 15वीं मंजिल, सिविक सेंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली पर जमा करेंगे।

(द) पूर्वी दिल्ली नगर निगम से सम्बद्ध विद्यालयों के पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट प्रति सहित सम्बद्ध अधिकारी के पास 419, उद्योग सदन, पटपड़गंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-91 पर जमा करेंगे।

(य) नई दिल्ली निगम परिषद से सम्बद्ध विद्यालयों के पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप में सॉफ्ट प्रति सहित उप शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, पालिका केन्द्र, संसद मार्ग, नई दिल्ली के पास जमा करेंगे जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(र) शिक्षा निदेशालय से सम्बद्ध सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र अपने विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव सहित सॉफ्ट प्रति सहित इसे निर्धारित प्रारूप में उपनिदेशक (योजना), पुराना पत्राचार भवन, तिमारपुर, नई दिल्ली के पास जमा करेंगे जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(ल) दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से सम्बद्ध सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र अपने विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, दिल्ली कैंटोनमेंट, दिल्ली-110010 के पास जमा करेंगे।

(व) केन्द्रीय विद्यालय संगठन से सम्बद्ध सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र अपने विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव सहित सॉफ्ट प्रति सहित इसे निर्धारित प्रारूप में सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली क्षेत्र, जे.एन.यू. कैम्पस, नई दिल्ली के पास जमा करेंगे जो इस मामले के नोडल अधिकारी हैं।

(श) मान्यता प्राप्त सार्वजनिक विद्यालयों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों तथा सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थी अपना प्रपत्र अपने विद्यालय के प्रमुख/प्रधानाचार्य के पास जमा कर सकते हैं जो बाद में समग्र प्रस्ताव एवं प्रासंगिक दस्तावेज एवं सॉफ्ट प्रति सहित इसे निर्धारित प्रारूप में उप निदेशक (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग), अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण विभाग, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 के पास अधिकतम 10.09.2014 के पास जमा करेंगे।

(ष) पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जीएनसीटीडी द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/अधिसूचना/परिपत्र/पत्र के अनुसार प्रदान की जायेगी।

नोट : उपर्युक्त (ब) से (र) तक वर्णित विद्यालय विद्यार्थियों के आवेदन अपने पास रखेंगे तथा अन्य समर्थक दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, पूर्व कक्षा की अंकतालिका (जहाँ अनुप्रयोग्य हो), स्वत: घोषणापत्र, शपथपत्र आदि विद्यालय के प्रमुख के पास रहेंगे जिनकी विभाग द्वारा किसी भी समय जाँच की जा सकती है।

4. अन्य शर्तें

वैयक्तिक आवेदन स्वीकार्य नहीं है। विद्यालय के प्रमुख को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी योग्य अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग का विद्यार्थी छूट न जाये तथा निर्धारित प्रारूप में विद्यार्थियों की समग्र सूची उपर्युक्त सम्बद्ध अधिकारियों के पास भेज दी जाये। सम्बद्ध विभाग/संगठन के नोडल अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रस्ताव (निर्धारित प्रारूप में हार्ड कॉपी सहित सॉफ्ट कॉपी के रूप में जिसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है) उप निदेशक (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग), बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 के पास **10.09.2014** अथवा उससे पूर्व भेज दी जानी चाहिए। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जायेगा। अग्रसारित पत्र पर योजना का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

आवेदन पत्र का प्रारूप, समग्र कथन (सम्बद्ध विद्यालय के प्रमुख द्वारा भरा जाना चाहिए), पारिवारिक आय का स्वत: घोषणा पत्र (अ.पि.वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग) तथा विद्यार्थी के **सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस प्रोफार्मा डिपार्टमेंट की वेबसाइट website. www.scstwelfare.delhigovt.nic.in. से डाउनलोड किया जा सकता है।**

आगे और विवरण तथा आवेदन प्रपत्र के लिए, कृपया वेबसाइट लॉगऑन करें : www.scstwelfare.delhigovt.nic.in

DIP/0637/14-15